(c) the entire expenditure on providing assistance is met by the Central Government.

Appointment of Chairman of Sugar Enquiry Commission

- 6334. SHRI M. M. HASHIM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:
- (a) in view of the sudden death of Mr. Justice Sinha, Chairman of the Sugar Enquiry Commission, whether Government propose to appoint another Chairman so that the report of the Commission is submitted by August, 1971;
- (b) if so, the name of the new Chairman; and
- (c) the extension of time granted to the Commission to present its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). Selection of the new Chairman of the Sugar Industry Enquiry Commission in place of late Mr. Justice Sinha is under consideration. The appointment is like by to be made shortly.

(c) Government have extended the timelimit for submission of Report by the Commission upto 29th February, 1972.

Visit of Indian Forest Service Central Committee to Orissa

- 6335. SHRI P. GANGADEB: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:
- (a) whether the Indian Forest Service Central Committee has not visited the State of Orissa since 1970;
- (b) if so, the reasons therefor;
- (c) whether the same Committee visited other States in 1970 except Orissa;
- (d) whether Government propose to ask the Committee to visit Orissa; and
 - (c) if so, when it is likely to visit Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH): (a) No Committee named "Indian Forest Service Committee" has been constituted by the Government of India for visiting the States.

(b) to (e). Does not arise.

केन्द्रीय अधिक संगठन को बाव्यता देना

- 6336. श्री हुकम सम्ब कछवाय: स्या अम भीर पुनर्वास मंत्री यह बताने की कुंपा करेंगे कि:
- (क) एक केन्द्रीय संगठन को मान्यता देने के लिये क्या आघार अपनाया जाता है;
- (ख) क्या किसी केन्द्रीय मजदूर संघ संग-ठन ने सरकार से मांग की है कि उसे मान्यता दी जाये; और
- (ग) यदि हां, तो ऐसा अनुरोध कब किया गया था और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

अस सीर पुनर्बास संती (श्री सार० के० खाडिलकर): (क) मारतीय श्रम सम्मेलन जैसे त्रिपक्षीय सलाहकार निकायों में प्रति-निघित्व के लिए केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन के रूप में मान्यता के लिए 1959 में हुए मार-तीय श्रम सम्मेलन के 17वें अधिवेशन द्वारा निर्धारित कसौटिया ये हैं कि:—

- (i) संगठनों का अखिल मारतीय स्वरूप होना चाहिए;
- (ii) संगटनों की अनेक राज्यों में व्याप्त न्यूनतम सदस्य संस्था एक लाख होनी चाहिए; और
- (iii) संगठनों की कम से कम अधिकांश उद्योगों में पर्याप्त सदस्य-संख्या होनी चाहिए ।
- (ख) जी हां । अनेक संगठनों ने इस प्रकार की मान्यता के लिए प्रार्थनाएं की हैं।
- (ग) प्रार्थनाएं समय-समय पर की गई हैं। कुछ संगठनों को केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के रूप में मान्यता देने के प्रश्न पर फरवरी, 1966 में हुए स्थायी श्रम समिति के अधिवेशन में विचार किया गया। यह स्वीकार किया गया कि इस सम्बन्ध में यथा पूर्व स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। तथापि, इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं।